न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 94 / 2022

अनवान : –

1. कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 17/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 35 / 28 के ख0न0 259 की 19.703 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के नाम हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कृष्णलाल पि0मु0 जैतो उर्फ पेमा पत्नी पतराम जबकि सायल का सही नाम कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड आदि में दर्ज है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कृष्णलाल पि0मु0 जैतो उर्फ पेमा पत्नी पतराम जबकि सायल का सही नाम कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड आदि में दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। [illegible] रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता स0 35/28 के ख0न0 259 की 19.703 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि वादी के नाम हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं प्रार्थी अपना नाम कृष्णलाल पि0मु0 जैतो उर्फ पेमा पत्नी पतराम के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:05:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज करवाना चाहता जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। लेकिन प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कब, कैसे दर्ज हुई है अर्थात की प्रार्थी का उक्त नाम किस आदेश के द्वारा दर्ज हुआ है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना बाबत संतोषजनक दस्तावेज पेश नही किये गये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के अभाव में स्वीकार योग्य नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:05:16 IST
Reason: SelfAttested